

मध्यप्रदेश अध्यादेश

क्रमांक २ सन् २०१३

मध्यप्रदेश जल विनियमन अध्यादेश, २०१३

विषय-सूची.

धाराएं :

अध्याय एक

प्रारंभिक

१. संक्षिप्त नाम, विस्तार, प्रारंभ तथा लागू होना.
२. परिभाषाएं.

अध्याय दो

मध्यप्रदेश जल विनियामक आयोग

३. आयोग की स्थापना तथा निगमन.
४. अध्यक्ष (चेयरपर्सन) और सदस्यों की नियुक्ति.
५. चयन समिति का गठन और उसके कृत्य.
६. अध्यक्ष (चेयरपर्सन) तथा सदस्यों की पदावधि.
७. अध्यक्ष (चेयरपर्सन) तथा सदस्यों का पारिश्रमिक.
८. सेवा की शर्तें.
९. आयोग का अध्यक्ष (चेयरपर्सन) और सदस्य होने के लिए अर्हता.
१०. आयोग के अधिकारी तथा कर्मचारी.
११. आयोग की कार्यवाहियां.
१२. रिक्तियों आदि के कारण कार्य अथवा कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना.

अध्याय तीन

आयोग के कृत्य, कर्तव्य तथा शक्तियां

१३. आयोग के कृत्य तथा कर्तव्य.
१४. आयोग की शक्तियां.
१५. आयोग की साधारण नीतियां.

अध्याय चार

लेखे, संपरीक्षा और रिपोर्ट

१६. आयोग को अनुदान तथा अग्रिम.
१७. आयोग का बजट.
१८. आयोग के लेखे.
१९. आयोग की वार्षिक रिपोर्ट.

अध्याय पांच

प्रकीर्ण

२०. सरकार की साधारण शक्तियां.
२१. आयोग के अध्यक्ष (चेयरपर्सन), सदस्य, अधिकारी और अन्य कर्मचारिवृन्द लोक सेवक होंगे.
२२. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण.
२३. नियम बनाने की शक्ति.
२४. आयोग की विनियम बनाने की शक्ति.
२५. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति.
२६. अधिकारिता का वर्जन.

अध्याय छह

व्यावृत्तियां

२७. व्यावृत्तियां.

मध्यप्रदेश अध्यादेश

क्रमांक २ सन् २०१३

मध्यप्रदेश जल विनियमन अध्यादेश, २०१३.

भारत गणराज्य के चौसठवें वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किया गया.

["मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" दिनांक २७ अप्रैल, २०१३ को प्रथम बार प्रकाशित किया गया.]

सरकार को जल के टैरिफ और जल के कुशलतापूर्वक उपयोग से संबंधित मामलों में सलाह देने और अन्य प्रयोजनों के लिए राज्य में मध्यप्रदेश जल विनियामक आयोग की स्थापना का उपबंध करने हेतु अध्यादेश.

यतः राज्य के विधान-मंडल का सत्र चालू नहीं है और मध्यप्रदेश के राज्यपाल का समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण यह आवश्यक हो गया है कि वे तुरंत कार्रवाही करें;

अतएव, भारत के संविधान के अनुच्छेद २१३ के खण्ड (१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं:—

अध्याय एक प्रारंभिक

१. (१) इस अध्यादेश का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश जल विनियमन अध्यादेश, २०१३ है.

(२) इसका विस्तार सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य पर है.

(३) यह ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा जिसे कि राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे.

(४) मध्यप्रदेश सिंचाई अधिनियम, १९३१ (क्रमांक ३ सन् १९३१), मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम, १९९९ (क्रमांक २३ सन् १९९९), मध्यप्रदेश नगरपालिका निगम अधिनियम, १९५६ (क्रमांक २३ सन् १९५६), मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१ (क्रमांक ३७ सन् १९६१), मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, १९९३ (क्रमांक १ सन् १९९४) और तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी इस अध्यादेश के उपबंध जल के टैरिफ के निर्धारण के संबंध में लागू होंगे.

संक्षिप्त नाम, विस्तार
प्रारंभ तथा लागू
होना.

२. (१) इस अध्यादेश में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

परिभाषाएं.

(क) "अध्यक्ष (चेयरपर्सन)" से अभिप्रेत है आयोग का अध्यक्ष (चेयरपर्सन);

(ख) "आयोग" से अभिप्रेत है धारा ३ की उपधारा (१) के अधीन स्थापित मध्यप्रदेश जल विनियामक आयोग;

(ग) "सरकार" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश सरकार;

(घ) "सदस्य" से अभिप्रेत है आयोग का सदस्य;

(ङ) "विहित" से अभिप्रेत है इस अध्यादेश के अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों द्वारा विहित;

(च) "विनियम" से अभिप्रेत है इस अध्यादेश के अधीन आयोग द्वारा बनाए गए विनियम;

(छ) "चयन समिति" से अभिप्रेत है धारा ५ के अधीन गठित चयन समिति;

(ज) "सेवा प्रदाता" से अभिप्रेत है कोई ऐसा व्यक्ति जिसमें निम्नलिखित समस्त या उनमें से किन्हीं सेवाओं को प्रदान करने के लिए सम्यक् रूप से प्राधिकार निहित किया गया हो :-

- (एक) जल आपूर्ति प्रणाली का अनुरक्षण तथा संचालन;
- (दो) जल वितरण;
- (तीन) जल से संबंधित जल प्रभारों तथा राजस्व का संग्रहण;
- (चार) सरकार द्वारा सौंपी गई कोई अन्य सेवा;

(झ) "प्रभार" से अभिप्रेत है जल आपूर्ति मुहैया कराने के लिए लागू विशिष्ट प्रभार या प्रभारों का समूह.

(२) उन शब्दों और अभिव्यक्तियों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं तथा परिभाषित नहीं किए गए हैं, किन्तु जो मध्यप्रदेश सिंचाई अधिनियम, १९३१ (क्रमांक ३ सन् १९३१), मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम, १९९९ (क्रमांक २३ सन् १९९९), मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १९५६ (क्रमांक २३ सन् १९५६), मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१ (क्रमांक ३७ सन् १९६१) तथा मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, १९३३ (क्रमांक १ सन् १९९४) में परिभाषित किए गए हैं, वे ही अर्थ होंगे जो संबंधित अधिनियमों में उनके लिए दिए गए हैं.

अध्याय—दो

मध्यप्रदेश जल विनियामक आयोग

आयोग की स्थापना तथा निगमन.

३. (१) सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, एक आयोग की स्थापना करेगी जो मध्यप्रदेश जल विनियामक आयोग के नाम से जाना जाएगा. आयोग उन शक्तियों का प्रयोग तथा उन कृत्यों तथा कर्तव्यों का पालन करेगा जो कि इस अध्यादेश के अधीन उसे सौंपे जाएं.

(२) आयोग, एक पूर्णकालिक अध्यक्ष (चेयरपर्सन) और दो पूर्णकालिक सदस्यों से मिलकर बनेगा.

(३) सरकार द्वारा, आयोग का अध्यक्ष (चेयरपर्सन) और सदस्य धारा ५ के अधीन गठित चयन समिति की सिफारिश पर नियुक्त किए जाएंगे.

(४) आयोग का मुख्यालय भोपाल में होगा.

अध्यक्ष (चेयरपर्सन) और सदस्यों की नियुक्ति.

४. (१) आयोग के अध्यक्ष (चेयरपर्सन) और सदस्यों की अर्हता निम्नानुसार होगी :

- (क) अध्यक्ष (चेयरपर्सन) कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो सरकार के प्रमुख सचिव के पद से अनिम्न पद का अधिकारी रह चुका हो और जिसे जल संसाधन के क्षेत्र में नीति निर्धारण और प्रशासन का अनुभव हो;
- (ख) एक सदस्य सिविल इंजीनियरिंग का उपाधिधारी ऐसा व्यक्ति होगा जिसे जल संसाधन के क्षेत्र का कम से कम २० वर्ष का अनुभव हो जिसमें किसी भी सरकार के मुख्य अभियंता के रूप में दो वर्ष का अनुभव सम्मिलित है;
- (ग) एक सदस्य, नगरीय प्रशासन और विकास के क्षेत्र में विशेषज्ञता रखने वाला कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसे कि जल संसाधन के क्षेत्र में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव हो.

(२) आयोग का अध्यक्ष (चेयरपर्सन) और सदस्य लाभ का कोई अन्य पद धारण नहीं करेंगे.

५. (१) आयोग के अध्यक्ष (चेयरपर्सन) और सदस्य सरकार द्वारा निम्नलिखित से मिलकर बनने वाली चयन समिति द्वारा सिफारिश किए गए नामों के पैनल में से नियुक्त किए जाएंगे.

चयन समिति का गठन और उसके कृत्य.

(एक)	मुख्य सचिव	अध्यक्ष
(दो)	कृषि उत्पादन आयुक्त	सदस्य
(तीन)	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग का भारसाधक सचिव	सदस्य
(चार)	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग का भारसाधक सचिव	सदस्य
(पांच)	जल संसाधन विभाग का भारसाधक सचिव	संयोजक

(२) चयन समिति, सरकार को प्रत्येक रिक्ति के लिए कम से कम दो नामों के पैनल की सिफारिश करेगी.

६. (१) आयोग का अध्यक्ष (चेयरपर्सन) तथा सदस्य तीन वर्ष की कालावधि के लिए पद धारण करेंगे तथा पुनर्नियुक्ति के लिए हकदार होंगे.

अध्यक्ष (चेयरपर्सन) तथा सदस्यों की पदावधि.

(२) अध्यक्ष (चेयरपर्सन) या कोई सदस्य ६५ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर पद पर नहीं रह जाएगा.

७. (१) आयोग के अध्यक्ष (चेयरपर्सन) तथा सदस्यों को ऐसे पारिश्रमिक का भुगतान किया जाएगा, जो कि विहित किया जाए.

अध्यक्ष (चेयरपर्सन) तथा सदस्यों का पारिश्रमिक.

(२) आयोग के अध्यक्ष (चेयरपर्सन) तथा सदस्यों के पारिश्रमिक तथा सेवा की अन्य शर्तों में उनकी नियुक्ति के पश्चात् उनके अलाभप्रद रूप में कोई फेरफार नहीं किया जाएगा.

८. (१) धारा ६ में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, आयोग का अध्यक्ष (चेयरपर्सन) और सदस्य सरकार को, लिखित में एक मास की सूचना देकर पद त्याग सकेंगे.

सेवा की शर्तें.

(२) आयोग का अध्यक्ष (चेयरपर्सन) या सदस्य :

- (क) ऐसी तारीख से, जिसको कि वह ऐसे पद पर नहीं रह जाता है, दो वर्ष की कालावधि के लिए, सरकार के अधीन किसी अन्य नियोजन के लिए पात्र नहीं होगा;
- (ख) ऐसी तारीख से, जिसको कि वह ऐसे पद पर नहीं रह जाता है, दो वर्ष की कालावधि तक कोई व्यावसायिक नियोजन स्वीकार नहीं करेगा.

स्पष्टीकरण.—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए:

- (एक) "सरकार के अधीन नियोजन" में मध्यप्रदेश राज्य क्षेत्र के भीतर किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के अधीन या सरकार के नियंत्रण के अधीन या सरकार द्वारा धारित या नियंत्रित किसी निगम या सोसायटी के अधीन नियोजन सम्मिलित है.
- (दो) "व्यावसायिक नियोजन" से अभिप्रेत है किसी भी हैसियत में नियोजन जिसमें किसी ऐसे क्षेत्र में, जिस पर कि आयोग की अधिकारिता हो या रही हो, व्यापार, व्यवसाय, औद्योगिक या वित्तीय कारबार में लगी हुई किसी एजेन्सी या किसी व्यक्ति के अधीन, कोई नियोजन सम्मिलित है.

आयोग का अध्यक्ष (चेयरपर्सन) और सदस्य होने के लिए अर्हता.

९. (१) कोई भी व्यक्ति अध्यक्ष (चेयरपर्सन) या सदस्य के रूप में नियुक्त होने या पद पर बने रहने के लिये अर्ह नहीं होगा, यदि वह :

- (क) विकृत चित्त का हो या अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए शारीरिक रूप से अयोग्य हो गया हो;
- (ख) अनुमोचित दिवालिया हो;
- (ग) किसी ऐसे अपराध का सिद्धदोष उहरा दिया गया हो जिसमें नैतिक अद्यमता अन्तर्वलित हो;
- (घ) ऐसे वित्तीय या अन्य हित रखता हो, जो आयोग के अध्यक्ष (चेयरपर्सन) या सदस्य के रूप में उसके कर्तव्यों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकते हों;
- (ङ) अपनी स्थिति का इस प्रकार दुरुपयोग करता है जिससे कि उसका पद पर बना रहना लोक हित पर प्रतिकूल प्रभाव डालता हो;
- (च) अध्यादेश के अधीन दिए गए सरकार के निर्देशों की अवहेलना करता हो.

(२) सरकार, विहित की गई प्रक्रिया के अनुसार जांच करने के पश्चात् अध्यक्ष (चेयरपर्सन) या किसी सदस्य को हटा सकेगी.

(३) सरकार, ऐसी जांच की अवधि के दौरान जो कि उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट है अध्यक्ष (चेयरपर्सन) और सदस्य को निलंबित कर सकेगी.

आयोग के अधिकारी तथा कर्मचारी.

१०. (१) सरकार, किसी व्यक्ति को, आयोग के सचिव के रूप में नियुक्त करेगी.

(२) आयोग का प्रशासनिक ढांचा, सरकार द्वारा अनुमोदित किए गए अनुसार होगा.

(३) आयोग, अनुमोदित किए गए ढांचे के अनुसार संविदा या प्रतिनियुक्ति पर अधिकारियों और कर्मचारियों को नियुक्त कर सकेगा.

(४) सरकार, आयोग के कार्यकरण के लिए वार्षिक अनुदान उपलब्ध कराएगी.

आयोग की कार्यवाहियां.

११. (१) आयोग, अपने मुख्यालय, भोपाल में सम्मिलन तथा बैठकों का आयोजन करेगा.

(२) आयोग के सम्मिलनों के लिए अध्यक्ष (चेयरपर्सन) तथा एक सदस्य से मिलकर गणपूर्ति होगी.

(३) अध्यक्ष (चेयरपर्सन) की अस्थायी अनुपस्थिति की दशा में आयोग के सम्मिलन की अध्यक्षता करने के लिए सरकार सदस्यों में से किसी एक सदस्य को नामनिर्दिष्ट कर सकेगी.

(४) आयोग के विनिश्चय बहुमत द्वारा किए जाएंगे.

(५) आयोग के समस्त आदेश और विनिश्चय, आयोग के सचिव द्वारा जारी किए जाएंगे.

रिक्तियों आदि के कारण कार्य अथवा कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना.

१२. आयोग का कोई भी कार्य या कार्यवाहियां, केवल इस आधार पर प्रश्नगत नहीं की जाएंगी या अविधिमान्य नहीं होंगी कि आयोग में कोई रिक्ति है.

अध्याय तीन

आयोग के कृत्य, कर्तव्य तथा शक्तियां

१३. इस अध्यादेश के उपबंधों के अधधीन रहते हुए, आयोग निम्नलिखित कृत्यों का पालन और कर्तव्यों का निर्वहन करेगा, अर्थात् :-

आयोग के कृत्य तथा कर्तव्य.

- (क) सरकार को, दो वर्ष में एक बार जल स्रोत जैसे कोई नदी, स्रोत या जल निकासी, प्राकृतिक झील या तालाबों में संग्रहित जल के उपयोग के लिए एक जल टैरिफ प्रणाली और सरकार द्वारा यथा अधिसूचित क्षेत्रों में सतह के नीचे के जल का निम्नलिखित के लिए उपयोग करने की सिफारिश करना :-
 - (एक) कृषि क्षेत्र ;
 - (दो) प्रयोजन, जिसमें पीने के लिए और घरेलू, औद्योगिक, ऊर्जा उत्पादन और वाणिज्यिक प्रयोजन सम्मिलित हैं;
- (ख) निम्नलिखित के लिए यथाविहित पूंजी और प्रचालन व्यय पर विचार करते हुए किसी सेवा प्रदाता द्वारा जल की आपूर्ति के लिये दो वर्ष में एक बार टैरिफ अवधारित करना और उसकी सिफारिश करना :-
 - (एक) किसी नगरपालिक सीमा के भीतर का क्षेत्र;
 - (दो) सरकार द्वारा समय-समय पर यथा अधिसूचित गैर नगरपालिक क्षेत्र;
- (ग) सरकार को समय-समय पर सिंचाई, पेयजल और घरेलू, औद्योगिक जल आपूर्ति में दक्षता को प्रोन्नत करने के उपायों की सिफारिश करना;
- (घ) सरकार द्वारा आयोग को सौंपे गए किन्हीं अन्य कृत्यों तथा कर्तव्यों का पालन करना.

१४. (१) इस अध्यादेश के अधीन किसी जांच या किन्हीं कार्यवाहियों के प्रयोजन के लिये आयोग को, निम्नलिखित विषयों के संबंध में किसी वाद का विचारण करते समय सिविल प्रक्रिया संहिता, १९०८ (१९०८ का ५) के अधीन सिविल न्यायालय को प्राप्त शक्तियां होंगी :-

आयोग की शक्तियां.

- (क) किसी सेवा प्रदाता या उसके प्रतिनिधि को समन करना और उसे हाजिर होने हेतु विवश करना और शपथ पर उसका परीक्षण करना ;
- (ख) साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किये जाने योग्य किन्हीं दस्तावेजों या अन्य सारवान वस्तुओं का प्रगटीकरण और उन्हें पेश कराया जाना;
- (ग) शपथ पर साक्ष्य ग्रहण करना;
- (घ) किसी कार्यालय से किसी लोक अभिलेख की अध्यपेक्षा करना;
- (ङ) अपने विनिश्चयों, निदेशों और आदेशों का पुनरावलोकन करना; और
- (च) कोई अन्य विषय जो सरकार द्वारा आयोग को सौंपे जाएं,

(२) आयोग अपने कृत्यों के निर्वहन में अपेक्षित सहायता देने हेतु समय-समय पर परामर्शदाताओं या विशेषज्ञों की नियुक्ति कर सकेगा. परामर्शदाताओं या विशेषज्ञों की नियुक्ति के निबन्धन तथा शर्तें ऐसी होंगी, जैसी कि विहित की जाएं.

(३) आयोग अपने कृत्यों के निर्वहन में ऐसे व्यक्तियों या व्यक्तियों के वर्ग से, जो आयोग के विनिश्चयों से प्रभावित हों या जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना हो, समय-समय पर परामर्श करने का हकदार होगा.

(४) आयोग ऐसे शुल्क या प्रभार उद्गृहीत कर सकेगा जो कि विहित किए जाएं.

आयोग की साधारण नीतियां.

१५. आयोग, राज्य की जल नीति और सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए नीति विषयक निदेशों के भीतर रहते हुए कार्य करेगा.

अध्याय चार

लेखे, संपरीक्षा और रिपोर्ट

आयोग को अनुदान तथा अग्रिम.

१६. सरकार आयोग को ऐसे अनुदान तथा अग्रिम उपलब्ध करायेगी जो कि इस अध्यादेश के अधीन उसे अपने कर्तव्यों का पालन करने और अपने कृत्यों के निर्वहन के लिये आवश्यक हों और इस प्रकार दिया गया अनुदान तथा अग्रिम ऐसी शर्तों तथा निबंधनों पर होगा जो कि सरकार अवधारित करे.

आयोग का बजट.

१७. (१) आयोग, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में, ऐसे प्ररूप में और ऐसे समय पर जो कि विहित किया जाए, आगामी वित्तीय वर्ष के लिये बजट तैयार करेगा और उसे सरकार को अर्पित करेगा.

(२) आयोग की समस्त राजस्व प्राप्तियां सरकार की संचित निधि में जमा की जाएंगी.

आयोग के लेखे.

१८. आयोग, समुचित लेखे तथा अन्य संबंधित अभिलेख संधारित करेगा तथा लेखाओं का एक वार्षिक विवरण, ऐसे प्ररूप तथा ऐसी रीति में तैयार करेगा जो कि विहित की जाए. आयोग के लेखाओं के विवरण की एक प्रति विधान सभा के पटल पर रखी जाएगी.

आयोग की वार्षिक रिपोर्ट.

१९. (१) आयोग प्रत्येक वर्ष में एक बार ऐसे प्ररूप में तथा ऐसे समय पर, जो कि विहित किया जाए, पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान की अपनी गतिविधियों का संक्षिप्त विवरण देते हुए, एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा और उसे सरकार को प्रस्तुत करेगा.

(२) उपधारा (१) के अधीन प्राप्त रिपोर्ट की प्रति, उसके प्राप्त होने से छह मास के भीतर विधान सभा के पटल पर रखी जाएगी.

अध्याय पांच

प्रकीर्ण

सरकार की साधारण शक्तियां.

२०. (१) सरकार को राज्य में जल से संबंधित मामलों पर आयोग को नीति विषयक निदेश जारी करने की शक्ति होगी.

(२) यदि इस संबंध में कोई प्रश्न उठता है कि क्या नीति के विषय के किसी ऐसे निदेश में लोकहित अन्तर्ग्रस्त है तो उस पर सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा.

आयोग के अध्यक्ष (चेयरपर्सन), सदस्य, अधिकारी और अन्य कर्मचारियों को लोक सेवक होंगे.

२१. आयोग के अध्यक्ष (चेयरपर्सन), सदस्य, अधिकारी और अन्य कर्मचारी जबकि वे इस अध्यादेश या उसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के किन्हीं उपबन्धों के अनुसरण में कोई कार्य कर रहे हों या उनका वैसा किया जाना तात्पर्यित हो, भारतीय दण्ड संहिता १८६० (१८६० का ४५) की धारा २१ के अर्थ के अंतर्गत लोक सेवक समझे जाएंगे.

२२. इस अध्यादेश या उसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के उपबंधों के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिये तात्पर्यित किसी बात के लिये सरकार, आयोग, अध्यक्ष (चेयरपर्सन), सदस्यों और अधिकारियों के विरुद्ध, जिसमें आयोग के कर्मचारी सम्मिलित हैं, कोई वाद, अभियोजन अथवा कोई अन्य विधिक कार्यवाही नहीं होगी।

सद्भावपूर्वक की गई कार्यवाही का संरक्षण।

२३. (१) सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, और पूर्व प्रकाशन की शर्त के अधीन रहते हुए इस अध्यादेश के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकेगी।

नियम बनाने की शक्ति।

(२) इस अध्यादेश के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम इसके बनाए जाने के पश्चात् यथाशक्यशीघ्र विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा।

२४. आयोग, सरकार के पूर्व अनुमोदन से, अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिये इस अध्यादेश और उसके अधीन बनाए गए नियमों से संगत विनियम बना सकेगा।

आयोग की विनियम बनाने की शक्ति।

२५. (१) यदि इस अध्यादेश के उपबंधों को प्रभावशील करने में कोई कठिनाई उद्भूत होती है तो सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा इस अध्यादेश के उपबंधों से अनसंगत ऐसे उपबंध कर सकेगी जो कि कठिनाई को दूर करने के लिये उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों।

कठिनाईयों को दूर करने की शक्ति।

(२) उपधारा (१) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, उसके किये जाने के पश्चात्, यथाशक्यशीघ्र विधानसभा के समक्ष रखा जाएगा।

२६. इस अध्यादेश के अधीन किया गया कोई आदेश या की गई कोई कार्यवाही अपील योग्य नहीं होगी और किसी भी सिविल न्यायालय को, किसी ऐसे मामले के संबंध में अधिकारिता नहीं होगी, जिसे कि विनिश्चित करने के लिये इस अध्यादेश द्वारा या उसके अधीन, आयोग या किसी अन्य प्राधिकारी को सशक्त किया गया हो।

अधिकारिता का वर्जन।

अध्याय छह

व्यावृत्तियां

२७. (१) इस अध्यादेश में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, मध्यप्रदेश सिंचाई अधिनियम, १९३१ (क्रमांक ३ सन् १९३१), मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम, १९९९ (क्रमांक २३ सन् १९९९), मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १९५६ (क्रमांक २३ सन् १९५६), मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१ (क्रमांक ३७ सन् १९६१), मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, १९९३ (क्रमांक १ सन् १९९४) तथा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या उसके अधीन विरचित नियमों में अधिकथित शक्तियां, अधिकार और कृत्य प्रभावित नहीं होंगे तथा वे लागू बने रहेंगे।

व्यावृत्तियां।

(२) इस अध्यादेश के प्रवृत्त होने के पूर्व उपधारा (१) में वर्णित अधिनियमों के अधीन किसी व्यक्ति या प्राधिकारी द्वारा की गई समस्त कार्यवाहियां, जल के टैरिफ के निर्धारण के संबंध में इस अध्यादेश द्वारा उक्त अधिनियमों में किए गए उपांतरणों के होते हुए भी विधिमन्य और प्रवर्तनीय होंगी।

भोपाल :

दिनांक २७ अप्रैल, सन् २०१३.

रामनरेश यादव

राज्यपाल
मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 27 अप्रैल 2013

क्र. 2883-143-इक्कीस-अ-(प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में मध्यप्रदेश जल विनियमन अध्यादेश, 2013 (क्रमांक 2 सन् 2013) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

राजेश यादव, अपर सचिव.